राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/12/वीएस/डीईएस/2014/ 4-7920-A दिनांकः - 22-12-2014

परिपत्र

विषयः— जन्म रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 10 के तहत किसी बालक/बालिका के जन्म का पंजीकरण बिना नाम के किये जाने का प्रावधान है तथा बालक/बालिका के माता—पिता या संरक्षक को यह सुविधा प्रदान की हुई है कि बालक/बालिका के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह में निःशुल्क तथा 15 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 5/— विलम्ब शुल्क के साथ बालक/बालिका का नाम जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में प्रविष्ट कराया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के लागू होने से पूर्व के बहुत से प्रकरणों में जन्म रजिस्ट्रेशन के बाद 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी जन्म रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि नहीं कराई है अर्थात बालक/बालिका का नाम अंकित किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के पत्रांक 1/2/नियम(10)/2012—वीएस (सीआरएस)/ दिनांक 23.11.2012 के क्रम में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे बालक/बालिका जिनका जन्म पंजीकरण दिनांक 01.01.2000 से पूर्व हुआ है तथा उनके माता—पिता या संरक्षक ने बालक/बालिका के जन्म की रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष समाप्ति के बाद भी जन्म रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि नहीं कराई गई है, वे 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि में रूपये 5/— विलम्ब शुल्क जमा कराकर जन्म रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि कराकर नाम अंकित किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लेवें।

उक्त 15 वर्ष की अवधि दिनांक 31.12.2014 को समाप्त होने के कारण भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के पत्रांक 1/2/नियम/2012—वीएस (सीआरएस)/2282 दिनांक 04.06.2014 के द्वारा उक्त अवधि को आगामी 5 वर्षों के लिए बढ़ाये जाने के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अवधि को आगामी 5 वर्ष (दिनांक 31.12.2019) तक के लिए बढ़ाया जाता है अर्थात ऐसे प्रकरण जिनमें जन्म रजिस्ट्रेशन 01.01.2000 से पूर्व किया गया है और जिनमें बालक/बालिका का नाम अंकित नहीं कराया गया है, उनमें बालक/बालिका का नाम अंकित कराया जाकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है एवं दिनांक 31.12.2019 के पश्चात यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

राज्य के समस्त ग्रामीण एवं शहरी रजिस्ट्रार जन्म—मृत्यु को निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु आमजन में व्यापक प्रचार—प्रसार करें।

(आर्म प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ13/1/12/वीएस/डीईएस/2014/ 47920-A दिनांकः- 22-12-2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उपमहारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड प्रथम, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
2. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
7. निदेशक (जन.)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, समस्त।
11. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम समस्त।
13. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को जिले के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु।
14. आयुक्त नगर परिषद, समस्त।
15. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका समस्त।
16. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति ..... जिला ..... को पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराने हेतु।

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)